

समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।

दूरभाष : 2527532  
तार : युनिवर्सिटी  
फेक्स : 0731-529640



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन  
इन्दौर - 452 001

क्र. डी.सी.डी.सी./अधिसूचना/2024/682

दिनांक ... 28 FEB 2024

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 100वीं बैठक दिनांक 08-12-2022 में विषय क्र. 17 एवं विषय क्र. 20(16.13) में लिए गए निर्णयानुसार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के क्षेत्राधिकार में संचालित होने वाले समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों से शैक्षणिक सत्र 2024-25 से सम्बद्धता/नवीनीकरण/सीट संख्या वृद्धि शुल्क एवं अन्य शुल्क की नवीन दर की अधिसूचना पत्र क्र. डी.सी.डी.सी./अधिसूचना/2023/1149 दिनांक 28/07/2023 के द्वारा जारी की गई थी।

विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 101वीं बैठक दिनांक 31-01-2024 में विषय क्र. 21 में लिए गए निर्णय के परिपालन में सत्र 2024-25 हेतु सम्बद्धता/नवीनीकरण शुल्क जमा करने हेतु जिन मदों में अत्याधिक शुल्क वृद्धि हुई है उन मदों में दो किशतों में सम्बद्धता शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार लिया जाएगा:-

- 1/ प्रथम किशत (50 प्रतिशत + जी.एस.टी.) दिनांक 28/02/2024 तक जमा की जा सकेगी।
- 2/ द्वितीय किशत (50 प्रतिशत + जी.एस.टी.) दिनांक 31/03/2024 तक जमा की जा सकेगी।
- 3/ दिनांक 28 फरवरी 2024 के पश्चात् प्रथम किशत जमा करने वाले महाविद्यालयों को प्रथम किशत पर 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा।
- 4/ दिनांक 31 मार्च 2024 के पश्चात् द्वितीय किशत/सम्पूर्ण राशि जमा करने वाले महाविद्यालयों को द्वितीय किशत पर 25 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा।
- 6/ सम्बद्धता/नवीनीकरण शुल्क (विलम्ब शुल्क के साथ) जमा करने की अंतिम तिथि पूर्ववत 15 मई 2024 रहेगी।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृष्ठांकन क्र. डी.सी.डी.सी./अधिसूचना/2024/682  
प्रतिलिपि:-

दिनांक ... 28 FEB 2024

1. कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, इन्दौर संभाग, मोती तबेला, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्राचार्य/संचालक, विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. कुलपतिजी के सचिव दे.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कुलसचिवजी के निजी सहायक दे.अ.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, एम.पी.ऑनलाईन, आई.आई.पी.एस., दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. उपकुलसचिव(शैक्षणिक/परीक्षा/गोपनीय/प्रशासन) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. वित्त नियंत्रक, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. रिकॉर्ड नस्ती।

  
डी.सी.डी.सी.